



2026: AHC: 52332-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 460/2026

अनिल कुमार तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अजय त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश पाण्डेय

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए., इस्त्याक खान, शेख सादुद्दीन साज़ली

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री इस्त्याक खान को सुना गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि उनका इरादा वर्तमान रिट याचिका पर दबाव डालने का नहीं है और वे इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री इस्त्याक खान को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लेने के आधार पर **खारिज** की जाती है।

16 मार्च, 2026

ज़फर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।